



पत्रांक: 48 / पत्रा0सं0-1454 / कोविड-19 / स्था0 / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2021-22 दिनांक: 26 अप्रैल, 2021

## // कार्यालय-आदेश //

प्रदेश में कोविड-19 के तीव्र गति से संक्रमण फैलने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/साप्ताहिक लॉकडाउन की स्थिति में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-47 / पत्रा0सं0-1454 / कोविड-19 / स्था0 / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2021-22 दिनांक 22 अप्रैल, 2021 द्वारा विश्वविद्यालय बन्द किया गया था।

इसी क्रम में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-1064 / सत्तर-3-2021-08(20) / 2020, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक संस्थानों हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि कोविड-19 से बचाव हेतु विश्वविद्यालय दिनांक 26.04.2021 से 01.05.2021 तक बन्द रहेगा।

इस अवधि में कोई भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम स्तर से अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा तथा किसी अपरिहार्य स्थिति में किसी भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में बुलाये जाने पर उन्हें उपस्थित होना होगा।

विश्वविद्यालय के कार्यालय पत्रांक 33 / पत्रा0सं0-1454 / कोविड-19 / स्था0 / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2021-22 दिनांक 08 अप्रैल, 2021 द्वारा निर्गत अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनोंक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी महोदय को इस अनुरोध के साथ कि माह अप्रैल, 2021 के वेतन/मानदेय एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी/सफाई/उद्यानीकरण इत्यादि से सम्बन्धित भुगतान की कार्यवाही अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, महिला एवं पुरुष छात्रावास, विश्वविद्यालय।
7. समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
8. समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी, विश्वविद्यालय।
11. गार्ड फाइल।

26/04/21  
(डॉ0 ए0 के0 सिंह)  
उप कुलसचिव